राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–29 / 2022

ज्योत्सना पासवान उर्फ ज्योत्सना प्रसाद बनाम अंजू कुमारी एवं अन्य।

यह वाद श्रीमती ज्योत्सना पासवान उर्फ ज्योत्सना प्रसाद, पति–श्री अविनाश पासवान, ग्राम–हरचन्द्रपुर, पोस्ट–बरैनी, थाना–कहलगाँव, **जिला–भागलपुर** द्वारा श्रीमती अंजू कुमारी, पति–श्री रवि पासवान(वाद–पत्र के अनुसार) / शेलुश पासवान(कास्ट स्क्रुटनी कमिटि के अनुसार) ग्राम+पो0–सियाँ, थाना–कहलगाँव, जिला– भागलपुर (वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत– सियाँ, प्रखण्ड–कहलगाँव, जिला–भागलपुर) के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत बिहार राज्य का मूल निवासी नहीं होने के बावजूद आरक्षण का गलत लाभ प्राप्त करने के दावे के आधार पर ग्राम पंचायत राज सियाँ के अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित मुखिया पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती ज्योत्सना पासवान उर्फ ज्योत्सना प्रसाद का पक्ष विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता, श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती अंजू कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री त्रिलोकी नाथ सिंह एवं श्री विकास कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी बिहार राज्य की निवासी नही है तथा इनके द्वारा बिहार राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जालसाजी कर जाति प्रमाण–पत्र बिहार राज्य से प्राप्त किया गया, जबकि वर्ष–2016 में हुए, पंचायत निर्वाचन में इनके द्वारा झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र का उपयोग किया गया था। साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा प्रतिवादी श्रीमती अंजू कुमारी के वर्ष–2016 के ग्राम पंचायत सियाँ, प्रखण्ड–कहलगाँव, जिला–भागलपुर के मुखिया पद हेतु किए गए, नामांकन–पत्र एवं इसके साथ संलग्न जाति प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया। तत्समय प्रयोग में लाया गया जाति प्रमाण–पत्र प्रखण्ड कार्यालय साहेबगंज, झारखण्ड से निर्गत था। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह प्रतिवादी का वर्ष–2016 में स्वीकारोक्ति है, कि वह साहेबगंज, झारखण्ड की निवासी है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा वर्ष–2021 में पंचायत आम निर्वाचन–2021 में आरक्षण का लाभ लेने हेतु उनके द्वारा बिहार राज्य से स्थानीय पदाधिकारियों के मिली–भगत से दिनांक–20.10.2021 को जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/6801944, कहलगाँव अंचल, भागलपुर से निर्गत कराया गया। उनके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने की तिथि एवं वर्ष पर विशेष बल देते हुए, आयोग को बताया गया कि यह प्रमाण–पत्र पंचायत आम निर्वाचन–2021 के ठीक पहले निर्गत कराया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के झारखण्ड राज्य के निवासी होने का प्रमाण यह भी है कि उनके माता–पिता का नाम अभी भी साहेबगंज नगर परिषद् के मतदाता–सूची में देखा जा सकता है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा संलग्न किए गए, मतदाता–सूची के क्रमांक–1683 एवं क्रमांक–1685 पर अंकित क्रमशः प्रतिवादी की माँ श्रीमती सुदामा देवी एवं पिता– श्री गोपाल पासवान के नाम का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके परिवार के सदस्य झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी हैं। इसका प्रमाण झारखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरीत किए जाने वाले खाद्यान्न हेतु इनके परिवार के सदस्यों के नाम से राशन कार्ड निर्गत होना है। साक्ष्य के तौर पर उनके द्वारा उनके माता–पिता एवं अन्य सदस्यों के नाम से निर्गत कम्प्यूटीकृत लाभार्थी सूची का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए, लिखित जवाब में वर्ष–1905 के सर्वे के उपरांत सरकार द्वारा भागलपुर जिले में वर्ष–1971–72 में सर्वे कराकर क्रमिक खतियान निर्गत किया गया। प्रतिवादी द्वारा वर्ष–1905 के जिस खतियान के आधार पर श्री जगन्नाथ पासवान को जिस भूखण्ड का स्वामी बताया गया है, वह भूखण्ड Continuous खतियान के खाता संख्या–06 एवं 363, खेसरा संख्या–627, 628, 629 एवं 630 के रूप में दर्ज है तथा इस भूखण्ड के रैयत का नाम सरजू पासवान, राज प्रसाद पासवान एवं शिक्षा विभाग, बिहार है, न कि जगन्नाथ पासवान। क्रमिक खतियान से स्पष्ट है कि जिस भूखण्ड का दावा प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा था कि वह उनके परदादा श्री जगन्नाथ पासवान का है, वह वास्तव में इनका नहीं है। साथ ही साथ प्रतिवादी के दावें के अनुसार प्रतिवादी का श्री सरयुग पासवान से कोई संबंध नहीं है। पुराने नामांकन–पत्र (वर्ष–2016) में इनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वह झारखण्ड के निवासी है। इसी प्रकार उनको प्राप्त प्रमाणों के आधार पर उनके माता–पिता में साहेबगंज जिला के PDS से फरवरी, 2022 तक अनाज प्राप्त किया गया है।

आगे वादी के द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित हो चुका है कि उनके द्वारा दिए गए, साक्ष्य सही है। प्रतिवादी के झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं PDS संबंधी अभिलेख सही पाए गए है, जबकि उनके द्वारा दिए गए, वंशावली संदिग्ध है, क्योंकि इसके कोई भी सदस्य सिवाय प्रतिवादी के माता–पिता के वर्तमान में जीवित नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए, खतियान में जमाबंदी सरयुग पासवान के नाम से कायम है, परन्तु वंशावली के अनुसार सरयुग पासवान वंशवृक्ष में नाम नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इनके पास कोई भी भू–अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि ये मूल रूप से बिहार राज्य के निवासी है, न कि झारखण्ड राज्य के। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया पैन कार्ड एवं आधार कार्ड नामांकन के ठीक पहले तैयार कराया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि

उक्त अभिलेख में निवास/आवास के अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जब प्रतिवादी का Self Admission है कि वे झारखण्ड के निवासी है, तो दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है।

आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नये तथ्य के रूप में आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा जिस खतियान के आधार पर भागलपुर जिलें के मूल निवासी होने का दावा किया जा रहा था, उसे जिला प्रशासन के नवीनत्म प्रतिवेदन में अस्वीकृत कर दिया गया है। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन आयोग को कराया गया।

उनके द्वारा यह भी रेखांकित किया गया कि प्रतिवादी द्वारा लगातार अपना पता परिवर्तित किया गया है। उनके जन्म प्रमाण–पत्र, वर्तमान नामांकन–पत्र एवं विगत् निर्वाचन में प्रयोग मे लाये गये जाति प्रमाण–पत्र में भिन्न–भिन्न पता अंकित है। उनके द्वारा यह भी रेखांकित किया गया कि उनका लालन–पालन ननिहाल में हुआ है तथा उनके द्वारा वर्तमान में इसी पता का उपयोग किया जा रहा है।

4. वादी के उक्त तर्कों का खण्डन प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी मुवक्किल बिहार राज्य की मूल निवासी है। उसके संबंध में उनके द्वारा अपना साक्ष्य आयोग के समक्ष रखा गया। सर्वप्रथम उनके द्वारा अंजू कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उनके जन्मतिथि–08.01.1992 पर विशेष बल दिया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल का जन्म अविभाजित बिहार में हुआ है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार का पुनर्गठन Bihar Re-organisation Act-2000 द्वारा किया गया है। अतः इस वाद के निस्तारण में उनके मुवक्किल के जन्मतिथि एवं जन्म स्थान सुन्दरपुर (कहलगाँव, भागलपुर) का विशेष महत्व है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपनी सभी शिक्षा–दीक्षा बिहार राज्य से ही की गई है। उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप उनके विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र, जो सर सहाय बालिका उच्च विद्यालय, कहलगाँव, भागलपुर का अवलोकन आयोग को कराया गया। इसके उपरांत क्रमशः महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र (ब्रजेश प्रसाद वर्मा इण्टर महाविद्यालय, कहलगाँव, भागलपुर), प्रवेश–पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (मैट्रिक), प्रव्रजन प्रमाण–पत्र इण्टरमीडिएट परीक्षा–2010, अंक–पत्र (मैट्रिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, प्रवेश–पत्र इण्टरमीडिएट, औपबंधिक प्रमाण–पत्र इण्टरमीडिए परीक्षा–2010, अंक–पत्र इण्टरमीडिए परीक्षा–2010 का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि उक्त सभी विद्यालय/महाविद्यालय जहाँ से उनके मुवक्किल की शिक्षा पूरी हुई है। उनके मूल आवास कहलगाँव, भागलपुर में अवस्थित है। आगे उनके द्वारा आयोग को उनके मामा एवं नाना को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास आवंटन का प्रमाण आयोग को दिखाया गया। उनके द्वारा आयोग को वर्ग–अष्ट्म की वार्षिक परीक्षा के पंजीयन–सह–आवेदन एवं प्रवेश–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें विद्यालय का नाम राजकीय गांगुली मध्य विद्यालय, कहलगाँव अंकित है। आगे उनके द्वारा आयोग को प्रतिवादी

के जाति प्रमाण–पत्र संख्या–TC/15/01182, दिनांक–17.04.20215 का अवलोकन कराया गया, जो कहलगाँव, भागलपुर से निर्गत है। आगे उनके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/6801944, दिनांक–20.10.2021 का अवलोकन कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि उक्त प्रमाण–पत्र राजस्व अधिकारी, कहलगाँव, भागलपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओ के अनुपालन के उपरांत निर्गत किया गया है। आगे उनके द्वारा श्रीमती सुदामा देवी (प्रतिवादी की माँ) के मातादाता पहचान–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें पता– वार्ड संख्या–04, ग्राम सुन्दरपुर, लालापुर, भंदेड़, थाना–कहलगाँव, तहसील–कहलगाँव, जिला–भागलपुर अंकित है। ठीक इसी प्रकार इनके पिता के मतदाता पहचान–पत्र में उक्त पता अंकित है एवं दोनों मतदाता पहचान–पत्र दिनांक–24.06.2022 को निर्गत है। आगे उनके द्वारा प्रतिवादी के पिता के निवास प्रमाण–पत्र जो कि दिनांक–07.04.2022 को निर्गत है, का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके माता के निवास प्रमाण–पत्र का भी अवलोकन कराया गया, जिसमें निवास का पता एवं निर्गत तिथि एक–समान है। आगे उनके द्वारा उनके मुवक्किल के पिता श्री गोपाल पासवान एवं माता–श्रीमती सुदामा देवी के जाति प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें उन्हें कहलगाँव, भागलपुर, बिहार का निवासी बताया गया है एवं प्रमाण–पत्रों की निर्गत तिथि–07.04.2022 है, आगे उनके द्वारा उनके माता–पिता के आधार कार्ड का अवलोकन कराया गया, जिसमें उनका पता–भागलपुर, बिहार अंकित है एवं निर्गत किए जाने की तिथि–14.04.2013 अंकित है। आगे उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके मुवक्किल के पक्ष में सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता को अबतक चुनौती नहीं दी गई है। वादी द्वारा उनके Written Statement पर कोई Reply File नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल तथ्यों पर तर्क दिया गया है कि Law Point पर कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र को स्वीकार नहीं किया गया तथा इसे गलत एवं फर्जी अपने जवाब के पारा–16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा अपने जवाब के पारा–09,10,11,12,13 एवं 14 के आलोक में स्पष्ट रूप से बताया है कि यह वाद Unimpeachable साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) के आलोक में खारिज किए जाने योग्य है।

आगे उनके द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन पत्रांक–1879, दिनांक–28.07.2023 का अवलोकन आयोग को कराया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष–1905 के सर्वे में श्री गोपाल पासवान के दादा श्री जन्नाथ पासवान के नाम से खतियान दर्ज है, जिसमें इनकी जाति **"पासवान"** अंकित है, जबकि वर्तमान प्रतिवेदन पत्रांक–1330/पं0, दिनांक–11.06.2024 के अनुसार उक्त भूखण्ड सरजू पासवान, राज प्रसाद पासवान एवं शिक्षा विभाग, बिहार के नाम से अंकित है। एक ही पदाधिकारी के दो भिन्न–भिन्न प्रतिवेदन है एवं परस्पर विरोधाभाषी है। अतः उनके द्वारा Unimpeachable साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

आगे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व के तर्कों को दुहराने के अतिरिक्त नये तथ्य के रूप में अपना पक्ष रखा गया तथा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा उनके किसी भी प्रमाण–पत्र का Denial नहीं किया गया है, अर्थात् यह सभी प्रमाण–पत्र उनके द्वारा स्वीकार किये गये है। उनके सभी प्रमाण–पत्रों का सत्यापन भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है तथा इसे सही पाया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके पिता कम आय वर्ग के व्यक्ति हैं तथा रोजी–रोटी कमाने हेतु झारखण्ड राज्य में रेहड़ी एवं ठेला लगाते थे, जिसके क्रम में उनका नाम सरकार के **''सब्सिडी''** युक्त राशन प्राप्ति हेतु नाम जन–वितरण प्रणाली में दर्ज हो गया। इसी प्रकार मतदाता–सूची में नाम दर्ज होना, उस राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में किसी स्थान पर छः माह तक प्रवास करता है, तो वहाँ के मतदाता–सूची में नाम अंकित करा सकता है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि विगत् निर्वाचन में उनके द्वारा अज्ञानतावश जाति प्रमाण–पत्र झारखण्ड राज्य से निर्गत करा लिया गया था, परन्तु इस जाति प्रमाण–पत्र का उद्देश्य चुनाव लड़ना था, जिसे जाति प्रमाण–पत्र पर अंकित किया गया है।

उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि वर्तमान प्रतिवेदन में उनके दावें को खारिज नहीं किया गया है तथा दोनों खतियानों को सही बताया गया है। जिला प्रशासन संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रतिवेदन दबाव में Table Work के द्वारा तैयार किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पूर्व के प्रतिवेदन एवं संबंधित सरपंच के वंशावली से यह प्रमाणित होता है कि उनकी मुवक्किल बिहार राज्य की मूल निवासी है तथा उनके द्वारा अबतक अपने राज्य(बिहार) के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य में आरक्षण का दावा या लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। उनके द्वारा पुनः उनके मुवक्किल के जन्म स्थान एवं जन्मतिथि पर बल देते हुये, आयोग को बताया गया कि उनका जन्म अविभाजित बिहारा राज्य में हुआ है तथा सदा से उनके पूर्वज बिहार राज्य के निवासी है। अल्प–कालिक प्रवास से उनके दावें को निरस्त या खारिज नहीं किया जा सकता। अंत में उनके द्वारा **रजनी कुमारी वाद** के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन (पत्रांक–1370/पं0, दिनांक–06.07.2022, पत्रांक–1879/पं0, दिनांक –28.07.2023, पत्रांक– 1091/पं0, दिनांक–30.04.2024, पत्रांक– 1330/पं0, दिनांक– 11.06.2024 एवं पत्रांक–1636/पं0, दिनांक–25.07.2024) उपलब्ध कराया गया हैं। जाँच प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–**

"जिला पंचायत राज कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक 1856 दिनांक 25.07.2023 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करया गया है। अंचलाधिकारी, कहलगाँव अपने पत्रांक 1235 दिनांक 18.04.2023 से प्रतिवेदित किया है कि श्रीमति अंजु देवी का जन्म कहलगाँव प्रखंड के महेशामुंडा ग्राम पंचायत के सुन्दरपुर ग्राम में हुआ है तथा इनकी शिक्षा स्थनीय बी0पी0वर्मा कॉलेज, कहलगाँव से हुई है। 1905 ई0 के सर्वे में श्री गोपाल पासवान (अंजू देवी के पिता) के दादा श्री जगन्नाथ पासवान के नाम खतियान दर्ज है। अंचल कार्यालय, कहलगाँव से श्रीमति अंजु देवी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 2809/30.04.2010 और TC/15/01782 दिनांक 17.04.2015 में जाति "दुसाध" अंकित है।"

(पत्रांक–1879, दिनांक–28.07.2023)

"विदित हो कि दिनांक 19.03.2024 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में "वादी ज्योत्साना पासवान द्वारा समर्पित झारखंड एवं बिहार राज्य से निर्गत श्रीमति अंजु कुमारी से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की जाँच हेतु निर्गत करने वाले कार्यालय को भेजा गया जिसका विवरणी जांच पदाधिकारी के मंतव्य सहित निम्नवत है :–

क्र0सं0	प्रमाण–पत्र का विरण	निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम	प्रमाण–पत्र की संख्या एवं तिथि	जाँच पदाधिकारी का मंतव्य
01.	जाति प्रमाण–पत्र	प्रखंड कार्यालय, साहेबगंज	300/2016	उपायुक्त, साहेबगंज ने जाति प्रमाण पत्र को सही पाया है। इस आशय की सूचना पत्रांक 1463/ITDA दिनांक 19.09.2022 से संसूचित है।
02.	राशन कार्ड	आपूर्त्ति पदाधिकारी, साहेबगंज	202001175171	श्रीमति अंजु देवी के पिता गोपाल पासवान के नाम निर्गत राशन कार्ड रद्द है। इस आशय की सूचना जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक 640 दिनांक 06.06.2023 से उपलब्ध कराया है।
03.	प्रधानमंत्री आवास योजना	नगर परिषद्, साहेबगंज (झारखण्ड)	ID-208017720031000155	श्रीमति अंजु देवी की माता सुदामा देवी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवंटन को अभिलेखीय जाँच में सही पाय है। प्रशासक नगर परिषद् साहेबगंज के पत्रांक 1511 दिनांक 30.09.2023 से उक्त सूचना संसूचित है।
04.	वंशावली	ग्राम पचायत बीरवन्ना	पत्रांक 33, दिनांक 13.09.2023	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कहलगाँव ने पत्रांक 21 दिनांक 04.10.2023 से संसूचित किया है कि ग्राम पंचायत बीरवन्ना के पत्रांक 33 दिनांक 13.09.2023 में वर्णित तथ्य सही है। श्री गोपाल पासवान के परदादा स्व0 जगन्नाथ पासवान ग्राम पंचायत बीरवन्ना के ग्राम दयालपुर (कहलगाँव) के मूल निवासी थे।
05	शैक्षणिक प्रमाण पत्र	बी0पी0वर्मा महाविद्यालय कहलगांव	इंटरमिडिएट	जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 3211 दिनांक 03.10.2023 से संसूचित किया है कि आंजु कुमरी, पिता–गोपाल पासवान, माता–सुदामा देवी, ग्राम–सुन्दरपुर, पो0– महेशमुण्डा, थाना–कहलगांव, जिला–भागलपुर का नाम वर्ष 2008 के प्रवेश पंजी के क्रम 64 पर अंकित है तथा वर्ष 2010 में इंटर की परीक्षा उर्तीण की है।
06.	क्रमिक खतियान का सत्यापन	जिला अभिलेखागार, भागलपुर	–	वरीय उप समाहर्त्ता, जिला अभिलेखागार, भागलपुर के पत्रांक 207 दिनांक 03.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि नकल आवेदन संख्या 7525 दिनांक 25.09.2023 में संधारित नकल जारी पंजी से मिलान

				किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 29.09.2023 को निर्गत किया गया है।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक 01 से 06 में अंकित प्रतिवेदन पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 1879/पं0, दिनांक 28.07.2023 एवं 857 दिनांक 18.03.2024 से आयोग को समर्पित है।''
(पत्रांक 1091/पं0, दिनांक 30.04.2024)

''अंजू कुमारी के पिता गोपाल पासवान एवं दादा छट्टू पासवान के नाम से कोई जमीन दयालपुर मौजा में नहीं है। उभय पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के दौरान कई दस्तावेज जिसमें शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन का रसीद से संबंधित कागजात दिखाया गया। आवेदन ज्योत्सना पासवान के द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र का हवाला देते हुए अंजू कुमारी के वंशावली को ही गलत बताया। **क्रमिक खतियान (हाल सर्वे खतियान) एवं कैडेस्ट्रल सर्वे (साबिक खतियान) सही है।** खतियान के आधार पर खतियानी रैयत से अंजू कुमारी का संबंध स्थापित किया जाना संभव नहीं है।

अतः वर्त्तमान में आवेदक से खतियानी रैयत का कड़ी नहीं मिलने के कारण संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। उक्त के आलोक में यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।
(पत्रांक–1636/पं0, दिनांक 25.07.2024)

आयोग द्वारा वादी, प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन से प्राप्त अभिलेखों सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती अंजू कुमारी की जाति/आरक्षण श्रेणी पर कोई विवाद नही है, अर्थात् वादी, प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन उनके जाति संबंधी तथ्य को लेकर एक मत है। विवाद का विषय प्रतिवादी के बिहार राज्य के मूल निवासी होने अथवा नहीं होने से संबंधित है, क्योंकि बिहार राज्य के आरक्षण संबंधी प्रावधानों के तहत आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही देय है।

वादी का दावा है कि प्रतिवादी झारखण्ड राज्य की मूल निवासी है, वहीं प्रतिवादी का दावा है कि प्रतिवादी बिहार राज्य की मूल निवासी है। अपने–अपने दावें में दोनों पक्षों द्वारा कई साक्ष्य दिये गये है, जो सत्यापन में सही पाये गये एवं उनके अपने–अपने समर्थन करते हैं, परन्तु इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा जे प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, उसमें तथ्यों में परस्पर एकरूपता नहीं है। जिला प्रशासन के अंतिम प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत **कैडेस्ट्रल सर्वे(साबिक खतियान)** भी सही है तथा वादी द्वारा दिया गया **क्रमिक खतियान(हाल सर्वे खतियान)** भी सही है, जो कि किसी व्यक्ति के मूल निवासी होने अथवा नहीं होने के लिए निर्विवादित साक्ष्य है। जिला प्रशासन द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि ''**खतियान के आधार पर अंजू कुमारी का संबंध स्थापित किया जाना संभव नहीं है**'' अर्थात् जिला प्रशासन यह स्थापित करने में विफल है कि अंजू कुमारी बिहार राज्य की मूल निवासी है, अथवा नहीं। इसी प्रकार वादी द्वारा दिये गये साक्ष्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी झारखण्ड राज्य की मूल निवासी है, क्योंकि झारखण्ड से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र खतियान अथवा भू–अभिलेख के आधार पर निर्गत नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में आरक्षण का लाभ प्रदान करने अथवा इससे वंचित करने हेतु इस तथ्य की जाँच आवश्यक है कि प्रतिवादी वास्तव में बिहार राज्य की मूल निवासी है, अथवा झारखण्ड राज्य की मूल निवासी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जबतक, निर्विवाद अभिलेखीय साक्ष्यों से यह प्रमाणित नहीं हा जाये कि व्यक्ति विभाजन के उपरांत बिहार अथवा झारखण्ड में ही स्थायी रूप से बस गया हो एवं सभी उद्देश्यों हेतु उस राज्य को अपना मूल राज्य मानता हो, तबतक संविधान द्वारा अनुच्छेद–341 में प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा भी यह आदेश दिया गया है कि जहाँ Unimpeachable साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वहाँ मामले को सक्षम न्यायालय, अथवा Fact Finding Body को प्रेषित कर दिया जाए एवं उसके आदेश अथवा निष्कर्ष के आधार पर ही योग्यता/अयोग्यता का निर्धारण किया जाए।

उक्त आलोक में प्रतिवादी श्रीमती अंजू कुमारी के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की वैधता की जाँच हेतु मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित किया गया, क्योंकि किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण–पत्र की वैधता की जाँच एवं उसके जाति के विनिश्चय हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) राज्य में Apex Fact Finding Body है।

अतएव उक्त वर्णित स्थिति में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित करते हुए, संकल्प ज्ञापांक–3887, दिनांक–08.11.2007 के आलोक में निर्णय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

6. **राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा ज्ञापांक–11/आ0जा0–01/2025 सा0प्र0–16007, पटना–15, दिनांक–27.08.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश कंडिका–12 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–**

   "(12.) अतएव अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों तथा जाँच प्रतिवेदन से साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों तथा जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–05–V–25–235, दिनांक–30.07.2025 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए, सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि श्रीमती अंजू कुमारी पिता–श्री गोपाल पासवान, पति–श्री शेलुश पासवान, ग्राम+पोस्ट–सियाँ, थाना–कहलगाँव, जिला–भागलपुर, बिहार राज्य के निवासी है, जो "दुसाध" जाति(अनुसूचित जाति) के सदस्य है, फलस्वरूप इनके उपर गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिये जाने के संबंध में लगाये गये, आरोप को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।

7. **राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) से प्राप्त प्रतिवेदन/निर्णय की प्रति दोनों पक्षों को हस्तगत कराते हुए, उन्हें उक्त प्रतिवेदन/निर्णय पर अपना–अपना मंतव्य/तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–**

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार द्वारा अपने पूर्व के तर्कों का दुहराया गया तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन/निर्णय के त्रुटिपूर्ण होने का दावा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अभिलेखों के सत्यापन के बिना ही तैयार किया गया है, तो तथ्यतः गलत है। अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रतिवेदन को आयोग अस्वीकृत करते हुए, वापस करें।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जितने भी तर्क दिये जा रहे है, उसका संज्ञान आयोग द्वारा पूर्व में लेते हुए, मामले को जाति प्रमाण–पत्र की वैधता की जाँच हेतु गठित Apex Fact Finding Body अर्थात् राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को प्रेषित किया गया था। साथ ही साथ राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा जाँच के दौरान भी सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार किया गया है तथा इनके द्वारा उठाये जाने वाले सभी आपत्तियों को प्रतिवेदन में समाहित किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि आयोग राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन/निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार नहीं है। अतः यदि वादी को उक्त प्रतिवेदन से असंतुष्टि है, तो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी जानी चाहिए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 17673/2025 के माध्यम से चुनौती दी गई है। अतः उक्त वाद में निर्णय आने तक प्रतिक्षा की जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि C.W.J.C. No. 17673/2025 के न्याय–निर्णय से यह वाद आयोग का निर्णय स्वतः प्रभावित होता है। अतएव इस वाद का निष्पादन इस आधार पर लंबित रखना न्यायोचित नहीं है।

8. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय संदर्भित न्याय–निर्णय का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत् हैः–**

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी श्रीमती ज्योत्सना पासवान उर्फ ज्योत्सना प्रसाद का यह दावा है कि श्रीमती अंजू कुमारी, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत सियाँ, प्रखण्ड–कहलगाँव, **जिला–भागलपुर झारखण्ड राज्य के वासी होने के बावजूद बिहार राज्य में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर** आरक्षण का लाभ प्राप्त कर विजयी हुई है, जो नियमानुसार गलत है।''

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि आरक्षण का लाभ बिहार के मूल वासियों को ही देय है, परन्तु विचाराधीन मामले में श्रीमती अंजू कुमारी के जाति प्रमाण–पत्र की वैधता हेतु मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित किया गया था, क्योंकि जाति प्रमाण–पत्र की वैधता का निर्धारण करने वाले राज्य के सर्वोच्च निकाय है। अर्थात् राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जो कि निम्नवत् हैः–

''सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि श्रीमती अंजू कुमारी, पिता–श्री गोपाल पासवान, पति–श्री शेलुश पासवान, ग्राम+पोस्ट–सियाँ, थाना–कहलगाँव, जिला–भागलपुर, बिहार राज्य के निवासी हैं, जो दुसाध जाति (अनुसूचित जाति) की सदस्य है, फलस्वरूप इनके उपर गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिए जाने के संबंध में लगाये गये, आरोप को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।''

उक्त वर्णित स्थिति में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय आयोग के लिए स्वीकार योग्य है, क्योंकि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक–17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामले में जाति निर्धारण/जाति/जाति प्रमाण–पत्र की वैधता हेतु Apex Fact Finding Body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है। अतएव वादी के अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाता है।

9. **आयोग का उक्त निर्णय** C.W.J.C. No. 17673/2025, **में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय–निर्णय/आदेश के फलाफल से स्वतः प्रभावित होगा।**

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–29/2022 1365 **पटना, दिनांक–** 30/3/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **भागलपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भागलपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–29 / 2022 1365 पटना, दिनांक– 30/3/2026

प्रतिलिपि– श्रीमती ज्योत्सना पासवान उर्फ ज्योत्सना प्रसाद, पति–श्री अविनाश पासवान, ग्राम–हरचन्द्रपुर, पोस्ट, बरैनी, थाना–कहलगाँव, **जिला–भागलपुर** तथा श्रीमती अंजू कुमारी, पति–(श्री रवि पासवान वाद–पत्र के अनुसार) / श्री शेलुश पासवान, ग्राम –सियाँ, पो0– कहलगाँव, जिला– भागलपुर (वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत– सियाँ, प्रखण्ड– कहलगाँव, जिला–भागलपुर) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–29 / 2022 1365 पटना, दिनांक– 30/3/2026

प्रतिलिपि– श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी